न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—04 / 2004 राजस्व वाद
श्री चन्द्रा पिता कजोड़ धोबी, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वगैराह ———वादीगण

बनाम

श्री देवी पिता मांगू धोबी, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) वगैराह ———प्रतिवादीगण

वादपत्र 53—54व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 व धारा 09 जा0दी0 व धारा 151जा0दी0

उपस्थितः—'

1—श्री पृथ्वीराज चौधरी — एडवोकेट—वादीगण

:: नि र्ण य :: दिनांकः—12.2.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 जा0दी0 व धारा 09 व 151 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त अनवान का वादपत्र वादीगण द्वारा न्यायालय में पेश किया जाकर जैर कार्यवाही के हैं। दौराने वाद पत्र प्रतिवादी संख्या 3 भैरू पिता मांगू धोबी निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा की मृत्यु दिनांक 14.6.2016 एवं प्रतिवादी संख्या 4 लादू पिता बख्तावर धोबी निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा की मृत्यु दिनांक 23.7.2014 को हुई। जिसकी जानकारी हाल ही में हुई व जानकारी होने पर अधिवक्ता को सूचना दी, जिस पर अधिवक्ता द्वारा मृतक प्रतिवादी लादू के वारिसान को प्रकरण में पक्षकारान् बनाने की हिदायतदी, जिसके वारिसान की जानकारी करने पर उसके वारिसान निम्न है। श्री रामेश्वर पिता लादू धोबी, उम्र बालिग, रामकन्या पुत्री लादू धोबी, उम्र बालिग, लक्ष्मण पिता लादू धोबी, उम्र बालिग, निवासीयान टेम्पों स्टेण्ड, चारभुजा मंदिर के पास, भीलवाड़ा व प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान श्रीमति सीता पुत्री भैरू धोबी, पत्नि शंभूलाल धोबी, उम्र बालिग, श्रीमति लाड पुत्री भैरू धोबी पत्नि गोपाल धोबी, उम्र बालिग, श्रीमति धापू पुत्री भैरू धोबी पत्नि सत्तू धोबी, उम्र बालिग, श्रीमति श्यामा पुत्री भैरू पत्नि भैरू धोबी, उम्र बालिग निवासीयान आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा श्रीमति शिरिया पुत्री भैरू पत्नि उदा धोबी, उम्र बालिग, रामस्वरूप पिता भैरू धोबी, उम्र बालिग निवासी आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है जिन्हें प्रतिवादी संख्या 3 भैरू धौबी के बजाय कायम मुकाम बनाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं। अतः वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एक तरफा बहस पर मनन किया गया । विचाराधीन वाद पत्र के दौरान प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के देहान्त हो जाने के कारण दो प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 9 तथा 151 जा0दी0 का दिनांक 19.11.2014 तथा 1.8.2016 को प्रस्तुत किया। जबकि प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु दिनांक 14.6.2016 को हुई व प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यु दिनांक 23.7.2014 को हुई। जिसकी जानकारी होते ही प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 19.11.2014 तथा 1.8.2016 को प्रस्तुत किया। जिनमें से एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 4 को करीब 1 माह विलम्ब से प्रस्तुत किया, तथा प्रतिवादी संख्या 3 का प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। इस प्रकार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं। इसलिये धारा 9 व 151 जा0दी0 के तहत दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। विलम्ब के लिये खण्डन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक होकर न्यायोचित हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 9 तथा 151 जा0दी0 को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ अतः

:: आ दे श ::

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 9 तथा 151 जा0दी0 को अन्दर अवधि प्रस्तुत किये-जाने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता हैं। वकील वादीगण निर्धारित अवधि में संशोधित अनवान प्रस्तुत करें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 12.2.2018 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner